संख्या 14011/4/2021-हि. भाग-IV
वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
डाकघर - न्यू फॉरेस्ट, देहरादून - 248006

दिनांक: 22 जुलाई, 2021

<u>आदेश</u>

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून की दिनांक 07.07.2021 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में परिषद के अंतर्गत सभी संस्थानों एवं केंद्रो में राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई तथा हिन्दी पत्राचार व हिन्दी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। वन अनुसंधान संस्थान 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार का कार्यालय है, इसलिए राजभाषा से संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना हमारा संवेधानिक उत्तरदायित्व है। अत: राजभाषा कार्यान्वयन को और अधिक व्यापक एवं प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नवत दिशानिर्देश दिये जा रहे हैं:-

(1) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करें।

(2) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, निविदा, सूचनाएँ, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन आदि द्विभाषी रूप में अर्थात हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है।

(3) राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिये जाए।

(4) यह संस्थान 'क' क्षेत्र के अंतर्गत आता है अत: अपेक्षा की जाती है कि अंग्रेजी में प्राप्त सभी प्रकार के पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाए। आवश्यकता अनुसार द्विभाषी रूप (हिन्दी अंग्रेजी) में भी जारी किये जा सकते है।

(5) हिन्दी/द्विभाषी पत्राचार के 100% लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मूल रूप से सभी पत्र हिन्दी/द्विभाषी में प्रस्तुत किये जाए। हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पत्र हिन्दी/द्विभाषी के अतिरिक्त केवल अंग्रेजी में जारी न हो।

(6) संस्थान के सभी फाइलों में टिप्पणियाँ हिन्दी में की जाये तथा सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी टिप्पणी की शुरुआत हिन्दी भाषा में करें।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य सभी राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

22/7/21
(ए.एस. रावत)
निदेशक
वन अनुसंधान संस्थान,

मानक वितरण:

No. 14011/4/2021-H. Part-IV
Forest Research Institute
Indian Council of Forestry Research and Education
Post Office-New Forest, Dehradun-248006

Date:-22 July, 2021

Order

This is to inform that Official Language Implementation Committee meeting was held on 07.07.2021 at ICFRE, Dehradun where various issues related to implementation of Official Language Hindi were discussed with all the Institutions and Centers under the Council. In the meeting some guidelines were issued to promote Hindi correspondence and use of Hindi in official work. Forest Research Institute is an office of the Central Government located in the 'A' region, so it is our constitutional responsibility to ensure compliance with the rules related to the official language. Therefore, the following instructions are being laid down to make official language implementation more compitable and elaborated in vision:-

(1) Make every effort to achieve the goals set in the Annual Programme 2021-22 released by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

(2) As per section 3(3) of the Official Language Act, 1963 all General Orders, Office Memorandums, Circulars, Rules, Notifications, Administrative Reports, Press Releases, Advertisements, all reports which are to be placed before any house of parliamant or both houses, Agreements, Tender ect. must be issued bilingually, i.e. in Hindi and English.

(3) Answers to the letters received in Hindi under Rule No 5 of Official Language Rules, 1976 must be given in Hindi only.

(4) This Institute comes under 'A' region, so it is expected that answers to all types of letters received in English Language should be given in Hindi. Letters may be issued in bilingual form also (Hindi-English) as per requirement.

(5) In order to achieve 100% target of Hindi / bilingual correspondence, all letters should be submitted in Hindi / bilingual. The signing officer should ensure that no letter is issued in English only other than Hindi/Bilingual.

(6) Noting should be prepared in Hindi in all the files of the Institute and all Concerned Officers and Employees should start the noting in Hindi language.

Apart from the above points, compliance of all other official language rules should be ensured.

(A.S. Rawat)
Director
Forest Research Institute

Standard Distribution